कार्यव्यवहार को सुधारना

माननीय लॉर्ड बोनोमी द्वारा

न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के कार्यव्यवहार एवं कार्यविधियों की समीक्षा - 2002

प्रत्युत्तर फॉर्म

फॉर्म भरने हेतु निर्देश
कृपया रिपॉर्ट में दी गयी सिफारिशों पर टिप्पणी करने के लिए इस फॉर्म का प्रयोग करें। कृपया नोट करें कि उत्तरों के लिए अंतिम तिथि **11 अप्रैल, 2003** है। भरने के उपरांत कृपया इस दस्तावेज को ई-मेल में संलग्नक के रूप में mailto:bonomy.consultation@scotland.gsi.gov.uk को भेजें।

नाम:
संस्था:
व्यवसाय:
पता:
सम्पर्क (टेलीफोन या ई-मेल):

रिपॉर्ट का उद्देश्य
सिफारिश सं.

1 उच्च न्यायालय के कार्यव्यवहार व कार्यविधियों को और अधिक व्यवस्थित करने तथा मुकदमों के संचालन में और अधिक विश्वसनीयता लाने के उद्देश्य से संशोधित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित सिफारिशें उसी उद्देश्य को हांसिल करने के लिए तैयार की गयी हैं। कुछ के लिए केवल वर्तमान कार्यव्यवहार में बदलाव की जरूरत है जब कि अन्य के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होगी। (पैरा 5.36 से 5.40)

टिप्पणियां

प्रारम्भिक डायट
सिफारिश सं.

3 (ए) अभ्यारोपण और विचारण के बीच के स्तर पर मामलों के न्यायिक प्रबन्धन के लिए "प्रारम्भिक डायट" के रूप में एक कार्यविधिक डायट होनी चाहिये। यह डायट उच्च न्यायालय में होनी चाहिये। (पैरा 6.21- 6.26 व 8.1 - 8.2)

(बी) प्रारम्भिक डायट सभी मामलों में अनिवार्य होनी चाहिये। (पैरा 6.23 - 6.25)

(सी) मामले प्रारम्भिक डायट को अभ्यारोपित होने चाहियें। उस डायट का मुख्य लक्ष्य उन मामलों को पहचानना और खत्म करना होगा जिनमें विचारण की ज़रूरत नहीं है, और जहां पर यह ज़रूरी है वहां पर विचारण के लिए या तो एक निश्चित तिथि, या काफी हद तक कोई सही अनुमानित तिथि नियत करना है। (पैरा 8.3)

(डी) प्राथमिक डायट को छोडा जा सकता है, परन्तु केवल वहीं पर जहां पर सारे पक्ष सहमत हों कि विचारण करना जरूरी है तथा वे न्यायालय को प्रारम्भिक डायट में ध्यान दिये जाने वाले मुद्दों के बारे में उस डायट से पहले ही सूचित कर देते हैं। (पैरा 6.25)

टिप्पणियां

7 (ए) प्रारम्भिक डायट के पीठासीन न्यायाधीश को आगे की समुचित कार्यविधि को नियुक्त करने तथा मुकदमें की कार्यवाही का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने में समर्थ करना। पार्टियों को क्योंकि वे इस समय ऐच्छिक प्रारम्भिक डायट के स्तर पर हैं, अपने मुकदमे की तैयारी, तथा किस हद तक उन्होंने साक्ष्य से सहमत होने की कोशिश की है, इस बारे में न्यायालय को बताने के लिए बाध्य होना चाहिये। (पैरा 8.4)

(बी) पार्टियों को न्यायालय को यह भी बताना जरूरी होना चाहिये कि उनके मामले में क्या कार्यविधि आवश्यक है तथा यदि विचारण होता है तो कौन से गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति जरूरी है। पीठासीन न्यायाधीश को साक्ष्य के मामले में किसी अनसुलझे मुद्दे का निर्धारण करना चाहिये जिसे गैर-विवादास्पद माना जा सकता हो। (पैरा 8.4, 8.5 व 8.10)

टिप्पणियां

8 (ए) प्रारम्भिक डायट से ही समयावधि, उदाहरणार्थ, किसी विशेष प्रतिवाद का नोटिस देने, की गणना की जानी चाहिये, और डायट पर ही सामान्य रूप से, परन्तु अपवर्जी रूप से नहीं, सभी प्रारम्भिक व कार्यविधिक मुद्दों का निपटान हो जाना चाहिये। कार्यवृत व याचिका की विद्यमान कार्यविधियों का उपलब्ध रहना जारी रहना चाहिये ताकि किसी सुविधाजनक स्तर पर मामलों को उठाया जा सके, परन्तु सामान्य रूप से प्रारम्भिक डायट प्रारम्भिक व कार्यविधि सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए आखिरी स्तर होनी चाहिये। (पैरा 8.14)

(बी) प्रारम्भिक डायट से पहले, प्रारम्भिक डायट पर विचार करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा को अधिक से अधिक सात दिन करके या जो भी कम से कम समय उचित समझा जाये, तर्कसंगत बनाना चाहिये। (पैरा 8.14)

(सी) प्रारम्भिक डायट स्तर पर निपटाये जाने वाले मुद्दों की सूची में यह जोडा जाना चाहिये -"साक्ष्य की ग्राह्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न जो कि न्यायालय की राय में विचारण से पहले सहूलियत से सुलझाया जाना चाहिये।" (पैरा 8.15 - 8.20)

(डी) पार्टियों को प्रारम्भिक डायट पर लिये गये किसी निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिये पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति जरूरी होनी चाहिये। (पैरा 8.21)

टिप्पणियां

9 (ए) प्रारम्भिक डायट शुरू में केवल एडिनबर्ग व ग्लासगो में सुनी जानी चाहिये। उनके परिचालन की निगरानी की जानी चाहिये और इस बात पर भी यथा समय विचार किया जाना चाहिये कि क्या उन्हें एबरडीन में भी रखा जाना चाहिये। (पैरा 11.3)

(बी) प्रारम्भिक डायट्स की शुरुआत का निरीक्षण करने के लिए ग्लासगो में पीठासीन न्यायाधीश के रूप में किसी वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी चाहिये और उसी तरह की नियुक्ति एडिनबर्ग में की जानी चाहिये। दोनो ही मामलों में यह नियुक्ति कम से कम 6 माह की अवधि के लिए होनी चाहिये। (पैरा 11.9)

टिप्पणियां

10 (ए) प्रारम्भिक डायट सप्ताह के किसी भी दिन सुनी जानी चाहिये और ऐसे समय पर आयोजित की जानी चाहिये ताकि पार्टियों के प्रतिनिधियों की उनके सामान्य व्यवसाय सम्बन्धी वचनबद्धता समायोजित हो सके। सर्वोत्तम व्यवस्था पर विचार करने के लिए, क्राउन के प्रतिनिधियों, अपराधिक मामलों के वकीलों, न्यायालय के स्टाफ व न्यायाधीशों से युक्त एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाना चाहिये। (पैरा 11.10)

(बी) प्रारम्भिक न्यायालय में लिपिक के पास सभी उपलब्ध तारीखों के पूरे विवरण को सुनिश्चित करने के लिए एक इलैक्ट्रोनिक डायरी व्यवस्था शुरू की जानी चाहिये। (पैरा 11.16)

(सी) प्रारम्भिक डायट्स में शामिल विभिन्न कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी लोगों को इस योजना के शुरू होने से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित व लागू करना चाहिये। (पैरा 11.21)

टिप्पणियां

प्रारम्भिक डायट के लिए तैयारी

सिफारिश सं.

2 (ए) स्कॉटिश कार्यपालक, न्याय विभाग, दि क्राउन, स्कॉटलैंड के मुख्य पुलिस अधिकारियों की एसोसिएशन, तथा अपराधिक मामलों के वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं से युक्त एक कार्यकारी दल की स्थापना की जानी चाहिये जो समीक्षा करे कि: (i) गवाहों के बयान किस प्रकार लिये जाते हैं तथा (ii) किन परिस्थितियों में उन्हें प्रतिवादी पक्ष को बताया जा सकता है। (पैरा 7.5)

(बी) शैरिफ कोर्ट में याचिका प्रक्रिया की शुरुआत पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में क्राउन को सामान्य रूप से प्रतिवादी पक्ष को गवाहों की एक अंतरिम सूची जारी करनी चाहिये। (पैरा 7.6)

(सी) क्राउन को मामले की जाँच पडताल में होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में सूचना भी प्रतिवादी पक्ष को प्रदान करनी चाहिये तथा उन्हें उपलब्ध होने पर सम्बन्धित साक्ष्य सुलभ कराने चाहियें। (Para 7.6)

(डी) अभ्यारोपण की अनुग्रह प्रति के साथ प्रतिवादी पक्ष के वकील को सभी दस्तावेजी प्रस्तुतियों की प्रति भी प्राप्त करानी चाहिये जो उसे पहले प्राप्त नहीं हुई है। (पैरा 7.6)

(ई) क्राउन के हाथ में बाद में आने वाले किसी भी लाक्ष्य की सूचना तुरन्त प्रतिवादी पक्ष को दी जानी चाहिये। (पैरा 7.6)

(एफ) पूर्वज्ञान प्रक्रिया को सुधारने के लिए स्कॉटिश कार्यपालक व माननीय एडवोकेट को क्राउन ऑफिस क्वालिटी एण्ड प्रेक्टिस रिव्यु यूनिट की सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु संसाधन उपलब्ध कराने चाहियें। (पैरा 5.16)

प्रत्युत्तर

5	(ए) सामान्य नियम यह होना चाहिये कि क्राउन द्वारा ट्रायल के समय प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री की सूचना प्रतिवादी पक्ष को अभ्यारोपण के समय दी जानी चाहिये।	(पैरा 7.7)
	(बी) प्रारम्भिक डायट से पहले कोई तारीख, कुछ दिन निश्चित होने चाहिये जिनके बाद क्राउन के लिए किसी अतिरिक्त गवाही के लिए सूचना देना या उसे दाखिल करना खुला नहीं रहना चाहिये, सिवाय न्यायालय को संतुष्ट करने वाले कारण के अतिरिक्त।	(पैरा 7.7)
	टिप्पणियां	
6	(ए) क्राउन को उन सब साक्ष्यों की पहचान कर लेनी चाहिये, जिनकी उनके विचार में विवादास्पद होने की सम्भावना नहीं है तथा प्रारम्भिक डायट से कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना प्रतिवाद पक्ष को गैर-विवादास्पद साक्ष्य के नोटिस में देनी चाहिये।	(पैरा 8.8)
	(बी) प्रतिवाद द्वारा नोटिस के बारे में कोई चुनौती इसके कम से कम 7 दिन बाद दी जानी चाहिये और इस चुनौती के समर्थन में कारण दिये जाने चाहियें।	(पैरा 8.8 व 8.9)
	(सी) प्रतिवाद को प्रारम्भिक डायट से कम से कम 7 दिन पहले प्रतिवाद की दिशा पर परिचर्चा करते हुए व उन मामलों की पहचान करते हुए जिन पर ट्रायल के उद्देश्य हेतु ध्यान देने की जरूरत है, एक नोट तैयार करना चाहिये। वह नोट ट्रायल के लिए अंतिम प्रतिवाद तैयारी का आधार बनेगा, गैर-विवादास्पद साक्ष्य के किसी नोटिस से निपटेगा, व उसका प्रत्युत्तर प्रदान करेगा, और ऐसे साक्ष्यों की भी पहचान करनी चाहिये जिन्हें प्रतिवाद गैर-विवादास्पद मानता है।	(पैरा 8.10)
	(डी) प्रतिवाद द्वारा चिन्हित गैर विवादित होने की संभाव्यता वाले साक्ष्य को क्राउन को गैर-विवादास्पद साक्ष्य के नोटिस में प्रारम्भिक डायट से कम से कम 7 दिन पहले सूचित कर दिया जाना चाहिये।	(पैरा 8.10)
	(ई) पार्टियों को प्रारम्भिक डायट से पहले सप्ताह में मिलने व बातचीत करने के लिए कहा जाना चाहिये ताकि उन मुद्दों पर चर्चा हो सके जिनके लिए प्रस्ताव की जरूरत है यदि मामला खत्म किया जाना है, अथवा प्रारम्भिक डायट पर ट्रायल डायट को सौंपने के बारे में बातचीत हो सके। मीटिंग के नतीजे को रिकॉर्ड किया जाना चाहिये व उसका रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।	(पैरा 8.11)
	टिप्पणियां	

समय सीमायें तथा जमानत

सिफारिश सं.

11	(ए) ऐसे मामलों में जहां पर अभियुक्त हिरासत में है, प्रारम्भिक डायट 110 दिन के अन्दर आयोजित करने के लिए व 140 दिन के अन्दर ट्रायल आरम्भ करने के लिए '110 डेज रूल' संशोधित किया जाना चाहिये।	(पैरा 9.8)
	(बी) ऐसे मामलों में जहां पर अभियुक्त हिरासत में नहीं है, अभियुक्त की याचिका पर प्रथम उपस्थिति से 9 माह के अन्दर प्रारम्भिक डायट के लिए अभ्यारोपित किये जाने के लिए नयी समय सीमा होनी चाहिये।	(पैरा 9.14)
	(सी) जिन आधारों पर न्यायालय द्वारा समय सीमा बढायी जा सकती है उन्हें तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये। समय सीमा बढाने का एक मात्र कारण "दिखायी गयी वजह" होनी चाहिये।	(पैरा 9.17)
	(डी) शैरिफ कोर्ट के मामलों में समय सीमा बढाने के आवेदनों की सुनवाई शैरिफ द्वारा की जानी चाहिये।	(पैरा 9.20)
	(ई) अभियुक्त को शीघ्र ट्रायल डायट कराने हेतु प्रारम्भिक डायट की तारीख को पहले करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होना चाहिये।	(पैरा 9.11)
	(एफ) जहां पर किसी मामले का निपटारा हिरासत की समय सीमा के अन्दर नहीं हो सकता तो अभियुक्त को जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार होना चाहिये।	(पैरा 9.10)
	(जी) किसी अभियुक्त को हिरासत की समय सीमा से अधिक हिरासत में रोके रखने की स्वीकृति बदली जानी चाहिये। अभियुक्त को "प्रक्रिया के सभी सवालों से हमेशां के लिए मुक्त" नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु उसे जमानत के लिए आवेदन करने व जमानत पर रिहा होने का अधिकार होना चाहिये।	(पैरा 9.21)
	टिप्पणियां	

दंड देना

सिफारिश सं.

4	(ए) क्रिमिनल प्रोसीजर (स्कॉटलैंड) एक्ट 1995 की धारा 196(1) में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मुकदमें की कार्यवाही में शुरुआती स्तर पर दोषी होने का अभिवचन करने से कम दंड मिलेगा तथा दोषी होने का अभिवचन ट्रायल डायट पर करने से दंड में सामान्यतया कमी नहीं होगी।	(पैरा 7.21)

(बी) न्यायालय को कारावास सम्बन्धी दंड लगाने का अधिकार होना चाहिये जिसमें कारावास की अवधि का कुछ भाग स्थगित हो। (पैरा 7.22)

टिप्पणियां

16 (ए) स्कॉटिश कार्यपालक को अब शैरिफ के दंड देने के अधिकार को बढा कर 5 वर्ष के कारावास तक करने के लिए अपराध व दंड (स्कॉटलैंड) एक्ट 1997 की धारा 13(1) को लागू करना चाहिये। (पैरा 13.17)

(बी) स्कॉटिश न्यायालय सेवा को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये कि उच्च न्यायालय से शैरिफ कोर्ट में स्थानान्तरित कार्य किस प्रकार समायोजित किया जायेगा। (पैरा 13.19)

टिप्पणियां

18 (ए) जब कोई मामला दंड के लिए स्थगित किया जाता है तो इस बात का पूरा प्रयास किया जाना चाहिये कि इसे उस तारीख तक के लिए स्थगित किया जाये जब न्यायाधीश उस न्यायालय में उपस्थित हो। (पैरा 15.8)

(बी) दंड के लिए स्थगित किये गये मामलों की अनुत्पादक कॉल से बचने के लिए इसे सामान्य रूप से चार हफ्तों के लिए और कारण बताने पर आठ हफ्तों के लिए स्थगित करना सम्भव होना चाहिये चाहे अभियुक्त कारावास में हो अथवा नहीं। (पैरा 15.7)

(सी) यदि एडिनबर्ग के लिए किसी मामले को स्थगित करना अपरिहार्य है तो अगर सम्भव हो तो इसे सोमवार को बुलाने के लिए स्थगित किया जाना चाहिये। (पैरा 15.8)

टिप्पणियां

कार्य का प्रबन्धन

सिफारिश सं.

13 (ए) यदि यह साफ ज़ाहिर हो जाये कि ट्रायल डायट आगे नहीं बढ सकती है तो पार्टियों द्वारा इसे स्थगित करने हेतु ट्रायल डायट गति तीव्र किये जाने के लिए न्यायालय से आवेदन करने का प्रावधान होना चाहिये। (पैरा 9.11)

(बी) जब कोई अभियुक्त ट्रायल के लिए हाज़िर नहीं होता है तो न्यायालय को अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु वारंट जारी करने तथा उस मामले को दो महीने के अन्दर और प्रारम्भिक या ट्रायल डायट के लिए स्थगित करने का अधिकार होना चाहिये। (पैरा 11.18)

(सी) समुचित मामलो में न्यायालय के पास किसी ट्रायल को अभियुक्त की अनुपस्थिति में जारी रखने हेतु आदेशित करने का अधिकार होना चाहिये। (पैरा 11.20)

टिप्पणियां

14 (ए) ग्लासगो में उच्च न्यायालय के प्रत्येक कोर्ट रूम में पूर्णकालिक क्लर्कों की व्यवस्था होनी चाहिये। (पैरा 12.5)

(बी) एडवोकेट्स संकाय को ग्लासगो के उच्च न्यायालय में कोर्ट स्टाफ से वकील के अभिवन्धों को व्यवस्थित करने हेतु सम्पर्क बनाये रखने के लिए एक प्रशासनिक सहायक की नियुक्ति करनी चाहिये। (पैरा 12.12)

टिप्पणियां

15 (ए) न्यायाधीशों को अपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सामान्यतया कम से कम चार हफ्तों की और इससे लम्बी अवधि के लिए बैठना चाहिये जिससे कार्य के आयोजन में बहुत हद तक विश्वसनीयता का सूत्रपात होगा। (पैरा 12.15)

(बी) अस्थाई न्यायाधीशों के पूल में वृद्धि की जानी चाहिये जो प्रथम अनुरोध पर लम्बे समय तक के लिए उच्च न्यायालय का कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अनुभवी शैरिफ जिनके स्थान पर शैरिफ न्यायालय में अंशकालिक शैरिफ लगाये जा सकते हैं। (पैरा 12.18)

टिप्पणियां

20 (ए) गवाहों के बयान के लिए व्यवस्थाओं को तर्कसंगत बनाने व सुधारने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। एसीपीओएस के साथ मिल कर सीओपीएफएस को एक ऐसा कार्यकारी दल स्थापित करना चाहिये जिसे गवाहों के बयान के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था तथा सीओपीएफएस की बैंच को, संभवतया सीधे जबाबदेह, गवाहों के बयान के लिए उत्तरदायी एवं संस्था की स्थापना पर रिर्पोट देने की छूट होनी चाहिये। (पैरा 15.23 व 15.28)

(बी) जिन परिस्थितियों में किसी अनिच्छुक गवाह को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद कौनसी कार्यविधि अपनायी जानी चाहिये, इसका कानून द्वारा विनियमन किया जाना चाहिये। न्यायालय को गवाह को जमानत पर छोडने तथा गवाह की हरकतों पर नजर रखने व उनके नियन्त्रण के अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। (पैरा 15.35 व 15.36)

(सी) गवाहों के लिए सार्वजनिक सेवा में एक टेलीफोन आन्सरिंग सेवा होनी चाहिये। वे ट्रायल शुरू होने के बाद न्यायालय में अपनी हाजिरी के लिए हर शाम इस सेवा पर सम्पर्क करके अद्यतन निर्देश पाने के लिए बाध्य होने चाहियें। (पैरा 15.40)

टिप्पणियां

23 (ए) न्यायालय को यह निर्धारित करने का एक सामान्य अधिकार दिया जाना चाहिये कि क्या किसी मामले की किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष गवाह के साक्ष्य लेने के लिए विशेष व्यवस्थायें आवश्यक हैं, जो कि कानूनी प्रावधान द्वारा प्रदत्त नहीं हैं। (पैरा 16.12)

(बी) ट्रायल न्यायाधीश को किसी सुभेद्य गवाह का बयान लेने के लिए विशेष इन्तजाम हेतु किये गये आवेदन के कागजात उपलब्ध कराये जाने चाहियें ताकि ट्रायल न्यायाधीश को अन्जाने में भी कुछ अनुचित न होने को सुनिश्चित करने की संवेदनशीलता की पूरी जानकारी रहे। (पैरा 16.13)

टिप्पणियां

27 (ए) किसी नयी शुरू की गयी कार्यविधि की प्रभावशीलता व दक्षता पर नियन्त्रण रखने के लिए, जस्टिसियरी ऑफिस में एक स्वस्थ प्रबन्धन सूचना व्यवस्था लागू की जानी चाहिये। (पैरा 19.3)

टिप्पणियां

न्यायालय में उपस्थिति

सिफारिश सं.

19 (ए) किसी मामले को औपचारिक रूप से जारी रखने के लिए, अथवा जहां पर व्यक्तिगत उपस्थिति से प्रारम्भिक स्तर पर किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उन स्थितियों में अभियुक्त की उपस्थिति समाप्त कर दी जानी चाहिये। अनावश्यक उपस्थिति की समाप्ति में न्यायालय व कारावासों के बीच टेलीविजन सम्पर्क के प्रावधान से सहायता प्रदान की जानी चाहिये। (पैरा 15.5 व 15.6)

(बी) जब कैदियों के न्यायालय में आने व वहां से जाने का तथा न्यायालय में उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसी बाहरी एजेन्सी को सौंपा गया है तो अभियुक्त के अदालत में अदालत बैठने से कम से कम पैंतालीस मिनट पहले आ जाने को तथा अभियुक्त की पेशी के दिन अनावश्यक दूरी तक यात्रा न करने को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय इंतजामों को चौकस रखा जाना चाहिये। (पैरा 15.11)

(सी) जो अभियुक्त हिरासत में नहीं हैं उनके लिए उनका मुकदमा शुरू होने से पैंतालीस मिनट पहले अदालत में उपस्थित होना जरूरी होना चाहिये तथा ट्रायल में उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने के पैंतालीस मिनट बाद तक न्यायालय परिसर में उपस्थित रहना चाहिये। जिस स्थान पर भी उच्च न्यायालय हो वहां पर अभियुक्त को इस अवधि में रिपॉर्ट करने के लिए एक कमरा बनाया जाना चाहिये। (पैरा 15.14 व 15.16)

टिप्पणियां

20 (ए) गवाहों के बयान के लिए व्यवस्थाओं को तर्कसंगत बनाने व सुधारने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। एसीपीओएस के साथ मिल कर सीओपीएफएस को एक ऐसा कार्यकारी दल स्थापित करना चाहिये जिसे गवाहों के बयान के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था तथा सीओपीएफएस की बैंच को, संभवतया सीधे जवाबदेह, गवाहों के बयान के लिए उत्तरदायी एवं संस्था की स्थापना पर रिपॉर्ट देने की छूट होनी चाहिये। (पैरा 15.23 व 15.28)

(बी) जिन परिस्थितियों में किसी अनिच्छुक गवाह को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद कौनसी कार्यविधि अपनायी जानी चाहिये, इसका कानून द्वारा विनियमन किया जाना चाहिये। न्यायालय को गवाह को जमानत पर छोडने तथा गवाह की हरकतों पर नजर रखने व उनके नियन्त्रण के अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। (पैरा 15.35 व 15.36)

(सी) गवाहों के लिए सार्वजनिक सेवा में एक टेलीफोन आन्सरिंग सेवा होनी चाहिये। वे ट्रायल शुरू होने के बाद न्यायालय में अपनी हाजिरी के लिए हर शाम इस सेवा पर सम्पर्क करके अद्यतन निर्देश पाने के लिए बाध्य होने चाहियें। (पैरा 15.40)

टिप्पणियां

21	(ए) जूरी सदस्यों के बयान व उपस्थिति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि अनावश्यक सम्भावी जूरी सदस्यों की जूरी सेवा शोधक को उनके वायदों के साथ न्यायालय में उपस्थिति को समाप्त किया जा सके तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का जूरी के सदस्य के रूप में कार्य करने को सुनिश्चित किया जा सके।	(पैरा 15.46 से 15.50)
	(बी) ट्रायल के दौरान जूरी को न्यायालय में अपना स्थान सबसे बाद में ग्रहण करना चाहिये तथा सबसे पहले छोड देना चाहिये।	(पैरा 15.50)
	(सी) ट्रायल कार्यवाही के दौरान मानक न्यायालय दिवस, जहां पर उचित हो, ट्रायल जज द्वारा संशोधन के अधीन रहते हुए प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर बाद 2 बजे से 4.30 बजे तक होना चाहिये।	(पैरा 15.51)
	टिप्पणियां	

उच्च न्यायालय की अवस्थिति

सिफारिश सं.

12	(ए) उच्च न्यायालय का पूरे स्कॉटलैंड में बैठना जारी रहना चाहिये।	(पैरा 10.4)
	(बी) ऐबरडीन में एक कोर्ट रूम उच्च न्यायालय के एकमात्र प्रयोग के लिए होना चाहिये। ऐसे कोर्ट के प्रावधान के लिए पहले से उपलब्ध सम्पत्ति को यथाशीघ्र परिवर्तित किया जाना चाहिये।	(पैरा 10.8 व 10.9)
	(सी) उच्च न्यायालय को नियमित रूप से डुन्डी में बैठना चाहिये। स्कॉटिश न्यायालय सेवा को उच्च न्यायालय कलैंडर में डुन्डी को उसके स्थान पर पुन: स्थापित करने के लिए किसी उपयुक्त परिसर को न्यायालय परिसर में परिवर्तित करने हेतु चिन्हित करना चाहिये।	(पैरा 10.11 व 10.13)
	(डी) उच्च न्यायालय के यदाकदा प्रयोग हेतु पर्थ में एक समुचित कोर्ट रूम प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।	(पैरा 10.12)
	(ई) ट्रायल डायट व इससे सम्बन्धित जूरी के सदस्यों का पार्टियों की सहमति से तथा न्यायालय में औपचारिक रूप से बुलाये जाने या उनकी उपस्थिति के बिना, प्रशासनिक रूप से एक न्यायालय से दूसरे सुविधाजनक न्यायालय में स्थानान्तरण का प्रावधान किया जाना चाहिये।	(पैरा 10.15 व 10.16)
	टिप्पणियां	

संसाधन

सिफारिश सं.

17	(ए) नयी कार्यविधिक व्यवस्थायें इस तरह संचालित की जानी चाहियें कि उनसे कौन्सिल व सोलिसिटर एडवोकेट्स को बढावा मिले जो न्यायालय में मुकदमों को उन मुकदमों से अपने आपको शुरू से अन्त तक प्रतिबद्ध रखते हुए प्रस्तुत करेंगे।	(पैरा 14.11)
	(बी) अपराधिक कानूनी सहायता के काम के लिए वकीलों को भुगतान किये जाने वाले मूल्य की दर प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त व भिन्न तत्वों के लिए मूल्य निर्धारण के सन्दर्भ में जन समीक्षा का विषय होना चाहिये। स्कॉटिश कार्यपालक तथा एडवोकेट्स संकाय को एडवोकेट्स संकाय द्वारा प्रस्तावित चिन्हित शुल्क योजना के शुरू करने के बारे में शीघ्र समझौता वार्ता करनी चाहिये। उच्च न्यायालय की कार्यवाही में और अधिक विश्वसनीयता फूंकने के प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति की सम्भावना, उन लोगों को बढावा देने के लिए जो स्वयं को मुकदमों से प्रतिबद्ध रखने के लिए निर्देशित हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें उचित मानदेय मिले चाहे कोई मामला ट्रायल तक जाये या ट्रायल से पहले ही खत्म हो जाये, बनायी गयी संशोधित अपराधिक कानूनी सहायता भुगतान योजना के समावेश से बढ जायेगी।	(पैरा 14.9 - 14.15)
	(सी) यदि शैरिफ के दन्ड देने के अधिकार बढते हैं तो स्कॉटिश कानूनी सहायता बोर्ड को शैरिफ कोर्ट के मामले में कौन्सिल तथा सोलिसिटर एडवोकेट्स के रोजगार के लिए मंजूरी देने सम्बन्धी अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिये।	(पैरा 14.16)
	(डी) ट्रायल डायट सौंपने में, न्यायालय को कौन्सिल तथा सोलिसिटर एडवोकेट्स की मौजूदा वचनबद्धताओं को ध्यान में रकना चाहिये ताकि मुकदमें के प्रति उनकी वचनबद्धता समयोजित हो सके।	(पैरा 14.11)
	टिप्पणियां	

25	(ए) क्राउन को उस कार्यविधि के प्रयोग पर विचार करना चाहिये जो समुचित मामलों में किसी न्यायालयिक पेथोलोजिस्ट के साक्ष्य पर भरोसा करने की अनुमति प्रदान करती है।	(पैरा 18.3)

(बी) क्राउन को उस कार्यविधि के प्रयोग पर विचार करना चाहिये जो नशीली दवाओं के विश्लेषण से सम्बन्धित मामलों को साबित करने के लिए प्रमाणपत्रों पर भरोसा करने की अनुमति प्रदान करती है। (पैरा 18.4)

(सी) उसी तरह के प्रावधान की शुरुआत न्यायालयिक पेथोलोजिस्ट के साक्ष्य के लिए करने पर विचार किया जाना चाहिये, ताकि उनके प्रमाणपत्र किसी शव परीक्षण से सम्बन्धित तथ्यों के पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कर सकें। (पैरा 18.4)

(डी) अपराधिक कार्यविधि (स्कॉटलैंड) एक्ट 1995 की धारा 281 को इस प्रावधान के लिए संशोधित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये कि जहाँ पर क्राउन दो न्यायालयिक वैज्ञानिकों या पेथोलोजिस्ट्स में से किसी एक के साक्ष्य पर भरोसा करना चाहे तो उन्हें इसका ब्यौरा देने की ज़रूरत न हो। (पैरा 18.5)

टिप्पणियां

26 (ए) निर्धारित रूप से ट्रायल से पहले सामाजिक पूछताछ रिपॉर्ट मांगने के कार्यव्यवहार की समीक्षा की जानी चाहिये तथा इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या ट्रायल के बाद रिपॉर्ट तैयार कराने से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। (पैरा 18.7)

(बी) सामाजिक पूछताछ रिपॉर्ट की मांग करते समय, न्यायालय को, रिपॉर्ट तैयार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को अभियुक्त के वकील का नाम व पता सूचित करना चाहिये जिसे रिपॉर्ट की एक प्रति भेजी जानी चाहिये। (पैरा 18.8)

टिप्पणियां

हस्तान्तरण मुद्दे

सिफारिश सं.

24 (ए) स्कॉटलैंड एक्ट 1998 की अनुसूची 6 यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित की जानी चाहिये कि वकील का और उसकी ओर से उसके द्वारा अधिकार प्राप्त किसी अन्य का सरकारी वकील के रूप में काम करना या काम करने में उसकी असफलतायें हस्तान्तरण मुद्दे की परिभाषा में नही आते हैं।. (पैरा 17.14)

नोट: परामर्श में सिफारिश सं. 24 को शामिल नहीं किया गया है जो कि यूके सरकार से सम्बन्धित मामला है और स्कॉटिश मन्त्रियों के लिए नहीं है।